कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक [illegible] / सोनभद्र/33 दिनांक, राबर्ट्सगंज जून, 30 2021

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी
सोनभद्र।

विषय- ग्राम-पंचलिया पनारी टोला गुरूर में निर्माणाधीन 2X660 मे0वा0 ओबरा "सी" तापीय परियोजना के राख बांध हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक- 1259 / डी0एल0आर0सी0-क्षति0वनी0 / 2021, दिनांक 24.06.2021।

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा ओबरा थर्मल "सी" तापीय परियोजना हेतु भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में ग्राम मुरेला, परगना-विजयगढ़, तहसील-राबर्ट्सगंज में कुल 34.328हे0 गैर वनभूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी थी। तत्क्रम में प्रश्नगत गाटा की संयुक्त निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी चुर्क एवं राजस्व लेखपाल द्वारा दिनांक 25.06.2021 को की गयी जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या का अवलोकन करने पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये -

1. गाटा संख्या- 48क, 49ख कुल रकबा- 2.225 हे0 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त पाया गया परन्तु भूमि में कृषि कार्य हो रहा है, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने के पश्चात ही लिया जा सकेगा।
2. गाटा संख्या- 53ग, 92ख, 98ख, 102, 103, 104, 108ख, 498क, 499ख, 500ख, 491क, 527क 528 एवं 529 कुल रकबा- 24.138 हे0 भूमि जंगल से आच्छादित पायी गयी, (फोटोग्राफ्स संलग्न) जिस पर टी0एन0गोडावर्मन बनाम यूनियन आफ इन्डिया की याचिका में पारित निर्णय दिनांक 12-12-96 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम लागु होता है। अतः हस्तपुस्तिका, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पृष्ठ संख्या- 46 के प्रस्तर संख्या-2.4(i)(v)(vi) के अनुसार यह गैर वनभूमि कुल 12.065हे0 वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित की जा सकती है।
3. शेष गाटा सं0- 51क एवं 498क क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वनभूमि हस्तान्तरण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(संलग्नक-उपरोक्तानुसार)

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

Scanned by Cam